# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

**राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 23 / 2022 / बाड़मेर**

| **अपीलांटस** | **रेस्पोडेंटगण** |
|---|---|
| 1. रूगसिंह पुत्र भोपसिंह जाति राजपूत निवासी केसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर | 1. गिरधरसिंह पुत्र जीवराजसिंह<br>2. रेवतसिंह पुत्र जीवराजसिंह<br>3. फतेहसिंह पुत्र जीवराजसिंह<br>4. श्राजूसिंह पुत्र जीवराजसिंह<br>5. मनोहरसिंह पुत्र जीवराजसिंह<br>6. नरपतसिंह पुत्र जीवराजसिंह<br>7. पेम्पकंवर पत्नी जीवराजसिंह जातियान राजपूत निवासीयान केसुम्बला भाटियान तहसील गिडा जिला बाड़मेर<br>8. छैलकंवर पत्नी राणसिंह पुत्री भंवरसिंह कायम मुकाम 8/1देवीसिंह पुत्र राणसिंह निवासी मेवा नगर तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर<br>9. हेमीदेवी पत्नी राजूराम जाति जाट निवासी हीरा की ढाणी हाल निवासी केसुम्बला भाटियान तहसील गिडा जिला बाड़मेर<br>10. भैरूसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी चांबा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर हाल निवासी केसुम्बला भाटियान तहसील गिडा जिला बाड़मेर<br>11. श्रीमान तहसीलदार गिडा<br>12. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, आरएमजीबी शाखा सवाऊ पदमसिंह |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 217/2020 बअनवान गिरधरसिंह वगैरा बनाम मनोहरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.01.2021 के विरूद्ध पेश हुई।**

**उपस्थिति**

1. वकील श्री कैलाश एन. सहारण अपीलान्ट की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2. वकील श्री राणाराम गौड़ रेस्पोडेंट की ओर से।

## निर्णय

दिनांकः—13.06.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के पूर्व पुरूष बागसिंह पुत्र धनसिंह की खातेदारी की भूमि मौजा केसुम्बला भाटीयान पटवार हल्का केसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 138 रकबा 179.05 बीघा(वर्तमान विभक्त खसरा संख्या 138 रकबा 119.10 बीघा, खसरा संख्या 254/138 रकबा 59.15 बीघा) का आया हुआ था। उक्त समस्त खसरा की भूमि पर वक्त सेटलमेंट से पूर्व वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के पूर्वज बागसिंह का कब्जा काश्त था। बागसिंह के स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त भूमि मुतवफी बागसिंह के तीनों पुत्रों महादानसिंह, भोपसिंह, बेरीसालसिंह तथा एक पुत्रवधू तगतकंवर के बराबर—बराबर 1/4—1/4 हिस्सा खातेदारी में जरिये फौतगी नामान्तकरण दर्ज हो गया था। बाद में महादनसिंह के फौत होने के बाद उनका 1/4 हिस्से की जमीन वादीगण के पिताजी जीवराजसिंह के नाम दर्ज हुई तथा जीवराजसिंह के स्वर्गवास के बाद उनके 1/4 हिस्सा की जमीन वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 03 के संयुक्त नाम से दर्ज की गई। वादीगण के पूर्वज बागसिंह की पुत्रवधू तगतकंवर के ला औलाद फौत होने के बाद उनके 1/3 हिस्से की जमीन वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 में बराबर बराबर विभक्त करनी थी लेकिन तगतकंवर के 1/3 हिस्से की जमीन जरिये फौतगी नामान्तकरण संख्या 414 के अकेले प्रतिवादी संख्या 05 के नाम से दर्ज कर दी थी जबकि तगतकंवर के लाऔलाद व निर्वसीयती फौत हो जाने के कारण उनके 1/3 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 में बराबर बराबर विभाजन कर दर्ज की जानी थी। प्रतिवादी संख्या 05 एक सरजोगर व बदमाश प्रवृति का व्यक्ति है जिसने वादीगण के पिताजी के स्वर्गवास के बाद जब वादीगण नाबालिग थे, वादीगण के बालिग भाईयों प्रतिवादी संख्या 01 व 02 तथा माता प्रतिवादीनी संख्या 3 को बहला फुसला कर जीवराजसिंह के 1/3 हिस्से की जमीन का बेचान दिनांक 09.06.1997 को प्रतिवादी संख्या 05 ने अपने पक्ष में बेचान करवा दिया जिस बेचान के आधार पर भी नामान्तकरण संख्या 488 दिनांक 26.06.1997 को भर कर स्वीकृत किया गया था। वादीगण के पिताजी जीवराजसिंह के 1/3 हिस्से की जमीन का जिस समय बेचान प्रतिवादी संख्या 05 ने अपने पक्ष में करवाया उस समय वादीगण सभी नाबालिग थे तथा उनके हिस्से की जमीन को बेचान करने का किसी को भी अधिकार हासिल नही था ऐसी स्थिति में उक्त बेचान दिनांक 09.06.1997 वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के हक तक प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 4/1 के वकील हाजिर मय काउन्टर क्लेम जबावदावा पेश किया। अपीलाधीन निर्णय की सम्पूर्ण कार्यवाही महज 02 माह में तथा वाद पेश एवं दर्ज सहित कुल 4 पेशी सुनवाई में पूर्ण कर दी जो कि प्रथम दृष्टया विधिक प्रक्रिया का घोर उल्लघंन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट के द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 से उक्त खसरा संख्या 138 रकबा 179.05 बीघा भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.06.1997 को 1/3 हिस्सा खरीद किया था जिसमें वक्त बेचान प्रतिवादी संख्या 01 व 02 बालिग थे तथा वादीगण जो नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता पेम्पकंवर के द्वारा बेचान सप्रतिफलात किया था, उक्त बेचान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के द्वारा अपनी निजी आवश्यकताओं के चलते किया था जो विधिवत रूप से किया था लेकिन वर्तमान में जमीनों के मूल्यां में उतरोतर वृद्धि होने से तथा प्रतिवादी संख्या 4/1 को अनुचित फायदा पहुंचाने के आशय से रजिस्टर्ड बेचान के 23 वर्ष के भारी विलम्ब के बाद वादीगण एवं स्वयं को वक्त बेचान नाबालिग होना बताकर उक्त घोषणा का वाद पेश करना विधिक प्रतिकूल है क्योंकि वादीगण की ओर से कुदरती वलिया माता पेम्पकंवर के द्वारा अपनी निजी आवश्यकताओं के चलते सप्रतिफलात बेचान किया है। अपीलांटस अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित करना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के पूर्व पुरूष बागसिंह पुत्र धनसिंह की खातेदारी की भूमि मौजा केसुम्बला भाटीयान पटवार हल्का केसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 138 रकबा 179.05 बीघा(वर्तमान विभक्त खसरा संख्या 138 रकबा 119.10 बीघा, खसरा संख्या 254/138 रकबा 59.15 बीघा) का आया हुआ था। उक्त समस्त खसरा की भूमि पर वक्त सेटलमेंट से पूर्व वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के पूर्वज बागसिंह का कब्जा काश्त था। बागसिंह के स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त भूमि मुतवफी बागसिंह के तीनों पुत्रों महादानसिंह, भोपसिंह, बेरीसालसिंह तथा एक पुत्रवधू तगतकंवर के बराबर–बराबर 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी में जरिये फौतगी नामान्तकरण दर्ज हो गया था। बाद में महादनसिंह के फौत होने के बाद उनका 1/4 हिस्से की जमीन वादीगण के पिताजी जीवराजसिंह के नाम दर्ज हुई तथा जीवराजसिंह के स्वर्गवास के बाद उनके 1/4 हिस्सा की जमीन वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 03 के संयुक्त नाम से दर्ज की गई। वादीगण के पूर्वज बागसिंह की पुत्रवधू तगतकंवर के ला औलाद फौत होने के बाद उनके 1/3 हिस्से की जमीन वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 में बराबर बराबर विभक्त करनी थी लेकिन तगतकंवर के 1/3 हिस्से की जमीन जरिये फौतगी नामान्तकरण संख्या 414 के अकेले प्रतिवादी संख्या 05 के नाम से दर्ज कर दी थी जबकि तगतकंवर के लाऔलाद व निर्वसीयती फौत हो जाने के कारण उनके 1/3 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 में बराबर बराबर विभाजन कर दर्ज की जानी थी। प्रतिवादी संख्या 05 एक सरजोगर व बदमाश प्रवृति का व्यक्ति है जिसने वादीगण के पिताजी के स्वर्गवास के बाद जब वादीगण नाबालिग थे, वादीगण के बालिग भाईयों प्रतिवादी संख्या 01 व 02 तथा माता प्रतिवादीनी संख्या 3 को बहला फुसला कर जीवराजसिंह के 1/3 हिस्से की जमीन का बेचान दिनांक 09.06.1997 को प्रतिवादी संख्या 05 ने अपने पक्ष में बेचान करवा दिया जिस बेचान के आधार पर भी नामान्तकरण संख्या 488 दिनांक 26.06.1997 को भर कर स्वीकृत किया गया था। वादीगण के पिताजी जीवराजसिंह के 1/3 हिस्से की जमीन का जिस समय बेचान प्रतिवादी संख्या 05 ने अपने पक्ष में करवाया उस समय वादीगण सभी नाबालिग थे तथा उनके हिस्से की जमीन को बेचान करने का किसी को भी अधिकार हासिल नही था ऐसी स्थिति में उक्त बेचान दिनांक 09.

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

06.1997 वादीगण के हक तक प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अपीलांटस के नाम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन भिजवाये गये उसके बावजूद अपीलांटस जानबुझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांटगण को वादीगण द्वारा पेश किये गये वाद के संबंध में कोई ज्ञान नहीं था अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस के मध्य अधीनस्थ न्यायालय में अन्य कई दावे चल रहे है तथा हाल ही में श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील संख्या 14/2020 का निर्णय दिनांक 19.01.2022 को रिमाण्ड करने का पारित किया गया था, उक्त अपील श्रीमान के न्यायालय में दिनांक 05.03.2020 को पेश की थी, उक्त अपील में समान पक्षकार, समान खसरान विवादित भूमि थी जिसमें स्टे ऑर्डर था इयलिये हस्तगत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को पारित करवाया जबकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में इन्ही खसरों से संबंधित अन्य वादों में सम्यक रूप से प्रतिरक्षा कर रहा था लेकिन हस्तगत निर्णय एवं डिक्री के वाद को वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के द्वारा मिलावट करते हुऐ अपीलांट पर बिना नोटिस तामिल के पारित करवाया होने से इतने समय तक उक्त अपीलाधीन वाद निर्णय का ज्ञान नहीं हो पाया था जिस कारण जानकारी के अभाव में हुऐ विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। हस्तगत प्रकरण का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अपीलांटस अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित करना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। वादिनी को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण का निस्तारण आनन–फानन में जल्दबाजी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 217/2020 बअनवान गिरधरसिंह वगैरा बनाम मनोहरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.01.2021 को अपास्त किया जाता है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में पारित नामान्तकरण संख्या 770 दिनांक 18.02.2022 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर अपीलांटस का जबाव लेकर प्रकरण में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.08.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रसिद्ध पालीवाल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर